>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Compulsory Voting Bill, 2009.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, the hon. Minister of Law had to go for some important meeting, I may kindly be allowed to represent him.

MR. CHAIRMAN: All right.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

सभापति जी, मुझे बेहद खुशी है कि आज मुझे मौका मिला है कि जो सौ करोड़ के हिन्दुस्तान की राय होती है, उसके बारे में मैं अपनी राय यहां रख सकूं। मेरा जो बिल है, उसमें मैंने यह इच्छा ज़ाहिर की है कि जितने भी वोटर्स हैं, उनको कानून के जरिए यह कहा जाए कि उनको जरूरी तौर पर वोट देना पड़ेगा। इसके पीछे मेरा एक मकसद है। पूरी दुनिया में दो तरह के देश हैं। एक- जो लोकतंत्र पर आधारित हैं और दूसरे जो डिक्टेटरशिप पर आधारित हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह लोग अपनी राय देते हैं और राय से सरकारें चलती हैं, काम होते हैं, कायदे और कानून बनते हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने फैसले लेते हैं और अपने फैसलों के आधार पर देश को डंडे, बंदूक के जोर पर चलाने की कोशिश करते हैं। हमारा देश गुलामी से निकलकर आजादी की तरफ आया है। यह देश पहले राजा, महाराजाओं का देश था। वे अपने हिसाब से अपनी रियासतों को चलाया करते थे। फिर अंग्रेज आए, उनके साथ एक लंबी लड़ाई हुई। यह लड़ाई किस बात की थी? यह लड़ाई इस बात की थी कि यह देश हमारा है, हम हिन्दुस्तानी हैं, हम हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। यह लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। यह लड़ाई महात्मा गांधी जी की कयादत में लड़ी गई। इसकी बुनियाद क्या थी? आप इसकी बुनियाद देखें तो यह लड़ाई डेमोक्रेसी के सबसे बड़े हथियार अहिंसा के आधार पर लड़ी गई। इसमें शामिल कौन हुआ? इसमें देश का गरीब आदमी, जिसके तन पर रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, शामिल हुआ। यह देश हमारा है और इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना है - ऐसा महात्मा गांधी के एक बार कहने पर वे साथ हो गए। उनके पास कोई हथियार नहीं था केवल राय थी। महात्मा गांधी जी ने किसी को तनख्वाह नहीं दी थी। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए किसी को हथियार नहीं दिया था। वे ताकतवर लोग थे, उनके पास सारे साधन थे और उन्होंने अपनी ताकत को बर्बरतापूर्वक समय-समय पर दिखाया था। आज हम जिनके नाम पर काले अक्षरों में लिखे गए इतिहास को याद करते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनके खिलाफ ये किस तरह लड़े। उन बंदूकों के खिलाफ हम राय से लड़े क्योंकि हमारे दिमाग में मकसद था। उस मकसद को हम आजादी तक लाए और हमें आजाद हिन्दुस्तान मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि आजाद हिन्दुस्तान किस पर आधारित है? आजाद हिन्दुस्तान डेमोक्रेसी पर आधारित है और यह आपने तय किया। सन् 1947 में जब देश आजाद हुआ, वे लोग जो उस समय फैसला लेने वाले थे उन्होंने तय किया कि हमें किस रास्ते पर जाना है। उन्होंने कहा हम लोकतंत्र चाहते हैं, लोगों की राय लेना चाहते हैं जिससे संसद, असैम्बली या नीचे की इकाइयां बनेंगी उसमें लोग चुनकर जाएंगे। इसमें चुने हुए व्यक्ति अपनी राय रखेंगे और आम सहमति या मेजोरिटी के आधार पर फैसले किए जा सकते है इसका मतलब है मान लीजिए 100 आदमी हैं और जो मेजोरिटी होगी, उसके हिसाब से राय मानी जाएगी। अगर हम बुनियादी असूलन तौर पर देखें, जो बात मैंने बिल में कही है कि अगर वह राय पूरी नहीं है तो शायद हम सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। लोकतंत्र क्या है? यह सोच है दुनिया को यह दिखाने की कि हम राय से चलते हैं। लेकिन कितने परसेंट राय होनी चाहिए? पहले 22 या 21 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था लेकिन राजीव जी वे 18 साल के वोटर को वोट देने का अधिकार दिया। मान लीजिए, 100 करोड़ लोगों का हिन्दुस्तान है, अगर 18 साल से नीचे के लोगों को 100 करोड़ में से निकाल दें तो तकरीबन 60-70 करोड़ रह जाएंगे जो वोटर लिस्ट में होंगे। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन यह मुद्दा है इसलिए मैं कह सकता हूं कि शायद कई बार वोटर लिस्ट में लोगों के पूरे नाम भी नहीं आते हैं, जिसका बार-बार हाउस में जिक्र होता है जिसके बारे में हम कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा भी करते हैं। हम कहते हैं कि इतने नाम रह गए, इतने नाम आने चाहिए थे, इतने नाम काट दिए और इतने जोड़ दिए। अगर इसे भी कम कर दें तो गिनती और भी कम हो जाएगी।

अक्सर देखा गया है कि हमारी वोटिंग परसैन्टेज कितनी होती है। अगर सौ करोड़ में से सत्तर करोड़ पहले रह गये, अब यदि सत्तर करोड़ का पचास परसैन्ट या पचपन परसैन्ट वोट पड़ता है तो इसके दो मतलब निकलते हैं - पहला मतलब यह निकलता है कि 55 परसैन्ट लोगों ने वोट दिया और 45 परसैन्ट लोगों ने अपनी राय देने से मना कर दिया। कोई भी बुनियादी काम हो रहा है, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए हम पंचायत बना रहे हैं। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए संसद का चुनाव हो रहा है, जहां बैठकर लोग यह देश किस दिशा में जायेगा और किनके लिए काम करेगा, उसके लिए कानून बनाने वाले हैं और काम करने वाले हैं। उसके लिए 45 परसैन्ट लोगों ने हमें नकार दिया। क्या वे हिंदुस्तानी नहीं हैं, क्या उन्हें इस देश से प्यार नहीं है, क्या वे अपने अधिकारों को नहीं समझते, क्या वे चुनाव को एक खेल समझते हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है, देश क्या होता है, सरकार क्या होती है, कौन चुने हुए नुमाइंदे होते हैं और उन्हें क्या करना है?

सभापति महोदय : अग्रवाल साहब, उस समय जब यह मंथन चल रहा था कि हिंदुस्तान कौन सी पद्धति अपनाये तो पश्चिम के मुल्कों का कहना था कि Parliamentary democracy is not suitable for India.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आपकी बात सही है, उन्होंने ऐसा कहा था। यह उनकी राय हो सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज हिंदुस्तान ने जो लोकतंत्र अपनाया और ये जो 50-60 साल पूरे किये हैं, यह हमारे इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे जायेंगे, हमने एक मजबूत कदम उठाया है और हम यहां तक पहुंचे हैं। हम दुनिया में किसी से कमजोर नहीं हैं। हमने दुनिया में यह दिखाकर मिसाल कायम की है कि सौ करोड़ का हिंदुस्तान राय पर चल सकता है। वोट के जरिये चल सकता है। हमें किसी की खुशामद करने की जरूत नहीं है और हमारा इतिहास गवाह है कि अलग-अलग समय पर हिंदुस्तान के प्रधान मंत्रियों ने मजबूती से खड़े होकर यह दिखाया भी है कि हम डिक्टेटरशिप ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। हमें कमजोर न माना जाए। क्योंकि आपने यह बात कही है, इसलिए मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं।

एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी अमरीका गई थीं, तब वहां के प्रेसिडेंट मि.िनक्सन थे। वहां कोई समझौता होना था और उस समझौते में अमरीका अड़चन डाल रहा था या उस राय को नहीं मान रहा था। तब एक दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह कहा कि अगर यह समझौता नहीं होता है तो मेरा इस देश में रहने का कोई मतलब

नहीं है, मैं यहां एक मिनट भी नहीं ठहरना चाहती। मेरा हवाई जहाज तैयार किया जाए, मैं वापस हिंदुस्तान जाना चाहती हूं। इस दबाव और इस जोश ने अमरीका के राष्ट्रपति को उस फैसले को करने के लिए मजबूर किया।

ऐसा ही एक बार और हुआ था, जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तब भी हमने वह ताकत दिखाई और यह दिखाया कि हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री सौ करोड़ लोगों के लिए इतिहास बनाता है। सौ करोड़ लोगों की ताकत अपने पीछे रखता है, उनकी सोच और समझ रखता है, उनकी हमदर्दी रखता है। इसलिए जब उन्होंने यह बात कही होगी तब उन्होंने हमने कमजोर समझा होगा। उन्होंने समझा होगा कि एक धोती में आजादी मांगने वाला यह महात्मा गांधी हिंदुस्तान को ज्यादा दिनों तक आगे नहीं ले जा सकेगा। लेकिन शायद वे भूल गये कि हमारा बहुत पुराना इतिहास है। हम अपनी संस्कृति से बंधे हुए लोग हैं। हम मौहब्बत से बंधे हुए लोग हैं। हमारे अंदर साप्रदायिकता नहीं सद्भावना है। इसीलिए हमारे देश में हर पचास किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है। आज भी हम एक-दूसरे को भाई कहते हैं, गले लगाते हैं, मिलकर चलते हैं और मिलकर वोट देते हैं, तब हिंदुस्तान बनता है। हम कमजोर नहीं हैं। लोग हमें भूल जाते हैं। सारी ताकत बन्दूक की नहीं मानी जा सकती। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग वोट नहीं देते, वे इस देश के दोस्त नहीं हो सकते। हम दूसरे मुल्कों के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम अपने देश के बारे में बेफिक्र हैं। वे लोग दुनिया को यह कहने का मौका देना चाहते हैं कि पचास परसैन्ट लोग हिंदुस्तान में वोट नहीं डालते तो कैसे माना जाए। मैं आपको आंकड़े दे रहा था कि आज हमारे देश में 70 करोड़ लोगों की वोटर लिस्ट हो गई है। अगर उसके 50 या 55 परसेंट भी वोट पड़ते हैं तो केवल 35 करोड़ लोगों ने अपना वोट दिया और 35 करोड़ लोगों ने नहीं दिया। अगर उस चुनाव में दो-तीन-चार उम्मीदवार खड़े हैं और उनमें वोटों को बांट दें तो हर व्यक्ति को 15 से 20 परसेंट वोट आये और वह व्यक्ति चुनकर चला आता है। इसका मतलब .यह हुआ कि 100 करोड़ लोगों में से 15 करोड़ की वोटिंग पाने वाला चुनकर चला आया, क्या यह सही है? मैंने अपने से यह सवाल किया और मुझे लगा कि कहीं गलती है। हम यह कहकर खुश हो जाते हैं कि मुझे 50 परसेंट वोट पड़े। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टी.वी. पर देखा होगा, जहां कहा जाता है कि आपको कितने परसेंट वोट पड़े, 50 परसेंट या 55 परसेंट या 62 परसेंट पड़े लेकिन किसी ने आज तक यह सवाल करने की कोशिश नहीं की कि बाकी 40 परसेंट कहां हैं? क्या वही 40 परसेंट लोग यह कह रहे हैं कि चुनाव गलत है या .यह कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी गलत है या हमें डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाहिये? क्या आगे बनने वाली पांच साल की सरकार के कार्यकाल से हम सहमत नहीं हैं? इसलिये मैंने इस बुनियादी सवाल को उठाया है कि आज के समय में यह बेरुखी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि जय प्रकाश चुनाव लड़ रहा है, वह गलत आदमी है क्योंकि 40 परसेंट वोट उसे मिले नहीं। मेरे गलत फैसले आपको भुगतने पड़ेंगे, अगर मैं गलत काम करूंगा, समझौता गलत करूंगा, गलत कायदे-कानून बनाऊंगा। उन लोगों के लिये नहीं बना रहा हूं जिन 60 परसेंट लोगों ने वोट दिये हैं। सरकारें बन रही हैं। हमने तो पूरा ढांचा अपने हाथों से निकाला है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। आज वक्त है कि हम यह कानून पास करें कि इस देश के कानूनों के प्रति बेरुखी अख्तियार नहीं कर सकते हैं। यह आपका बुनियादी कानूनी फर्ज है, आप वोट देकर किसी भी चुनाव में हिस्सा लें। आप वोट किस को देते हैं, वह अलग बात है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सी सरकारें बनीं, बहुत सी चुनाव में हटी। हमारा कितना मजबूत ढांचा है? कोई भी प्रधानमंत्री कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे जनता के फैसले मानने पड़ते हैं। सरकार सब मिलकर बनाते हैं। जिस समय लोग यह फैसला करते हैं कि लोकतंत्र में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, उस व्यक्ति को हटना पड़ता है। जिनको चुना जाता है, वे गये हैं, वे अपनी तरह से काम करते हैं लेकिन बात यह है कि उसमें शामिल कौन है? मान लीजिये अगर सारे लोग मिलकर अपनी राय नहीं देंगे, वह सही नहीं हो सकती है। इतने लोग दूरी तक चलकर जायें, हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर इस हाउस के 543 सदस्यों में से आधे बाहर निकल जायें और कुछ लोग यहां बैठकर फैसला करें तो शायद वह ठीक नहीं होगा। वह सिस्टम डिक्टेटरशिप की तरफ चला जायेगा। वह उस रास्ते पर चला जायेगा जहां लोगों की बुनियादी मांग है, उससे दूर चला जायेगा। आज हम यहां बैठते हैं तो 60 परसेंट लोग क्या चाहते हैं, वह हमारे पास राय है, लेकिन 40 परसेंट लोग क्या चाहते हैं, उनकी राय हमारे पास नहीं है,। आप कहते हैं कि क्या हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? जब हम कानून बनाने की बात कहते हैं या जब कोई दूसरा अपने फर्ज को नहीं समझता तो आप क्यों कानून बनाते हैं? मेरा यही मानना है कि जहां हम समय समय पर कानून बनायें, वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये बनायें। आपने चुनाव आयोग बनाया,उसे अपना काम दिया और उसने अपना काम किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग अलग है। इलेक्टिड विंग अलग है और सब अपना-अपना काम करते हैं, अलग-अलग पाये हैं। बगैर इन सबके साथ चले हुए वह काम पूरा नहीं हो सकता है। मुझे आज खुशी है, जब मुझे सुबह आरपीए पर बोलना था, मैंने शुरू भी इसी से किया था। हमें खुशी है कि आज एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जिसकी दुनिया में साख बनी है। यह आसान काम नहीं है। इतने बड़े हिंदुस्तान मे चुनाव कराना और चुनाव बड़े अच्छी तरीके से हो जाना, एक, आधा या चौथाई परसैंट कोई बात हुयी हो, तो अलग बात है, लेकिन चुनाव तो हुए। हमारे यहां से एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए दूसरे देश बुलाते हैं कि आपके इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव कराये हैं? आप बताइए कि हमारे यहां कैसे चुनाव हो सकते हैं?

हमने दो-तीन देशों में देखा कि जहां कुछ समय पहले चुनाव हुए, वहां बड़ी जबरदस्त हिंसा हुयी है। वहां कत्ले-आम हुआ। लोगों ने जो चुनाव हुए, उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह आदमी गलत है, इसने बेईमानी की है। उसको आप छोड़ दें। आप अमेरिका की हालत देख लें। अमेरिका में जब बुश और अलगोर का चुनाव हुआ, तो कितने ही सवाल हुए? वेस्ट पेपर बास्केट से बैलेट पेपर मिल रहे हैं। हमने क्या दिखाया? हमने यह दिखाया कि हम एक साथ मिलकर चुनाव ठीक प्रकार से करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक बड़ी अच्छी बॉडी है। समय-समय पर कई बार सवाल उठते हैं, जब मैं उस पर बोलूंगा तक अपनी बात कहूंगा। मुझे लगता है कि जो बुनियादी पाये हैं, वे मजबूत रहने चाहिए। हो सकता है कि हमारे काम से वे 40 परसेंट लोग खुश न हों, इसलिए वे वोट न देते हों। मैं दूसरी तरफ से कहना चाहता हूं। हम कैसे उन्हें आकृषित करें, हम उन्हें कैसे कहें कि आइए हमारे साथ बैठिए, हम उन्हें दिखाएं कि जो काम हम कर रहे हैं, वह आज के हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। जो हम कायदे-कानून बना रहे हैं, वह उन लोगों के लिए हैं, जिनके पेट में रोटी नहीं है। हम वह काम कर रहे हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और हमारा भारत दुनिया में बहुत अच्छी और मजबूत ताकत बने। हम यह करना चाहते हैं कि वे 40 परसेंट लोग अगर वोट और दे देंगे तो हमारी राय ऐसी होगी, जिसके अंदर हम दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरेंगे। आज लोग कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कहीं कमजोर है, जो उन लोगों को आकृषित नहीं कर सकी जो वोट देने नहीं आते हैं। मैं यह बिल लाया हूं, मैंने कहा है कि हम कानून बनाएं। कानून बनाने को भी एक दंड कहा जा सकता है। अगर वे लोग स्वतः वोट दें, हम देश को क्यों प्यार करते हैं, देश को क्यों अच्छा देखना चाहते हैं, कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, कौन से रास्ते हम वह सफर तय करके आगे जाना चाहते हैं, जहां से हम यह कहते हैं कि पूरे देश में रहने वाला हर व्यक्ति खुशहाल हो? हर एक के पास रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी चीजें, रोजगार, पैसा सब चीजें हों। यह तभी पॉसिबल होगा, जब सब राय रखेंगे। अगर वे लोग यह नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाने के दो ही तरीके हैं। या तो हम किसी तरफ बिना कानून बनाये उन्हें आकृषित करें। 60 साल का समय बीत गया है और अगर अब भी वह आकृषण उनके अंदर पैदा नहीं हुआ है तो या तो हमारे अंदर कमी है या उनकी समझ में कमी है। आज जरूरी है कि हम यह सोचें कि हम कौन से रास्ते पर चलें? हमें अपना फर्ज ढूंढ़ना होगा। हम सिर्फ अपने पेट की रोटी के लिए गाते रहते हैं, अपनी परेशानियों को गाते रहते हैं, अपनी चीजों की मांग करते रहते हैं, अपने घर की जरूरतों की मांग करते रहते हैं। अगर मैं किसी कांस्टीच्युंसी से आता हूं, जैसे आज सुबह मैंने यहां खड़े होकर कहा कि मेरे यहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, हम उसे ही कहते रहते हैं। किसी वक्त यह भी तो सोचिए कि ये सारी चीजें छोड़कर एक ऐसा बिंदु है जिसे भारत कहा जाता है। जिसके लिए हमें काम करना है, जिसके लिए हमें सोचना है, जिसके लिए हमें सरकारें बनानी हैं।

सभापति महोदय : अग्रवाल साहब, एक माननीय सदस्य आपके इस बिल का समर्थन करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें समय दूं।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अभी ये बोलते रहें। अभी और सदस्य भी बोलना चाहेंगे। यह बिल चलता रहेगा और दूसरे सदस्य बाद में बोल लेंगे।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : जब मैंने शुरू में आपसे कहा कि लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप होती है। हम डिक्टेटर नहीं हैं, हमारे देश ने डिक्टेटरशिप को नकार दिया। अब डैमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप लोकतंत्र में और उस राज में क्या फर्क है? अगर हम कहते हैं कि पचास परसेंट वोट दे रहे हैं तो 50 परसेंट नहीं भी दे रहे हैं। जो डिक्टेटरशिप है, जहाँ चुनी हुई सरकारें नहीं हैं, वहाँ लोग वोट नहीं देते, वह डिक्टेटरशिप हो गया। तो क्या यह माना जाए कि आज हिन्दुस्तान में 50 परसेंट डैमोक्रेसी है और 50 परसेंट डिक्टेटरशिप है? लेकिन सरकार यह कहती है कि हमने उनको बुनियादी अधिकार दे रखा है कि आप वोट दें। सरकार की तरफ से कोई पाबंदी किसी को नहीं है कि यह वोट देगा और यह वोट नहीं देगा। अंग्रेज़ों के समय में यह था कि जो इनकम टैक्स देता था, सिर्फ वही वोट दे सकता था, बाकी कोई वोट नहीं दे सकता था। आज स्वतंत्र भारत में कानूनी तौर पर एक गरीब आदमी को भी वोट देने का अधिकार है। वह किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखता हो, उसको वोट देने का अधिकार है। 18 साल से ऊपर का, चाहे वह किसी उमर का हो, उसे वोट देने का अधिकार है। आज जब कानूनी तौर पर हमने छूट दी है, मैं यह बिल बड़े भारी मन से लाया हूँ कि हम किसी को कानूनी तौर पर कहें कि आपको यह काम करना है। जो काम स्वतः होना चाहिए था, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी डेढ़ सौ साल, उस लड़ाई को लड़कर हमने आज़ादी प्राप्त की है। तो क्या हमारा खुद फर्ज़ नहीं है कि हम आएँ, आगे बढ़ें, अपनी राय दें। कोई सज़ा नहीं है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरे खिलाफ वोट देने वालों को मैं कोई सज़ा देने वाला हूँ। पचास परसेंट लोग वोट देते हैं, उसमें से कुछ परसेंट मुझे देते हैं, बाकी दूसरों को देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, उनको मैं जेल में घेरने वाला हूँ जब मेरी सरकार आएगी। तो वे जो पचास परसेंट लोग हैं, उनको क्या डर है? शायद मुझे लगता है कि हम उनको इस मकसद तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि आप आओ और हमारी डैमोक्रेसी के सबसे बड़े प्रोसैस में हिस्सा लो। हम यह भी नहीं कहते कि आप इसी को वोट दो। हम कहते हैं कि वोट दो। उसी के लिए हम सारे साधन बनाते हैं, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग एजेन्ट बनाते हैं। झंडे, बिल्ले, बैनर और नारे बनाते हैं। मंच लगते हैं, सब आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। तो उनको क्या तकलीफ़ है? ...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): इंडीपैन्डैन्ट को भी वोट देते हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इंडीपैन्डैन्ट को भी वोट देते हैं, पार्टियों को भी वोट देते हैं। अधिकार है। आप रोक नहीं सकते हैं। आपने छूट दे रखी है कानूनी तौर पर। तो उनको क्या तकलीफ़ है जो 40 परसेंट लोग आज बेरुखी दिखाते हैं हिन्दुस्तान से। जब इतनी बड़ी आज़ादी है और हर आदमी को यह कहने का हक है कि वह क्या चाहता है, किस तरह चाहता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हम दुनिया में एक ताकत बनने की बात कहते हैं तो बाहर वाले लोग भी हमें बहुत पैनी नज़र से देखते हैं कि हम कहाँ और किस तरफ जा रहे हैं। जब हम अपनी ताकत का अहसास कराना चाहते हैं और सबसे कहते हैं कि हमारी तरफ टेढ़ी नज़र से मत देखना, हम भी ताकतवर हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से भी कभी सवाल हो सकता है कि आपकी सरकार तो 60 परसेंट वोट पर बनी हुई है। 40 परसेंट लोग आपके रवैये से खुश नहीं हैं। वह भी तो सवाल कर सकते हैं कि आपकी आधी डैमोक्रेसी है।

18.00 hrs.

मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम तन-मन-धन से अपने देश को प्यार करते हैं, जब हम अच्छी सोच रखते हैं और यह कहते हैं कि देश हमारा है, जब हम ताकत के रूप में सपना देखना चाहते हैं ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Agarwal, you will continue your speech next Friday.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : Thank you, Mr. Chairman, Sir.